Email - janaandolan797@gmail.com

हमें गुलाम बनाए ऐसा स्वास्थ्य कानून नहीं आने देंगे।

मॉनसून सत्र में आने वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य का विधेयक हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं है।

वह हमारे देश में तानाशाही स्थापित करने का साधन है।

हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए वह हम लोग तय करेंगे डब्ल्यूएचओ नहीं।

नया विधेयक सिर्फ वायरस और जैव आतंकवाद की बात कर रहा है। हमारे देश में स्वास्थ्य से जुड़े सवाल कुपोषण, प्रदूषण, आर्थिक और सामाजिक और असुरक्षा से जुड़े हैं। वह सब किस तरह ठीक किया जाए उसके लिए कोई बजट या ठोस उपाय नहीं हो रहे हैं।

मगर मुख्यतः दवाई की कंपनियों के फंड से चल रही डब्ल्यू एच ओ जैसी संस्था के उपायों को लागू करने के लिए हमारी निजी स्वतंत्रता और हमारे शरीर पर से हमारा हक छीन लिया जाए और कोई न्यायिक प्रक्रिया भी ना रहे ऐसा कानून बनाने की तैयारी हो रही है।

मीडिया के हवाले से जो पता चल रहा है उसके मुताबिक नया कानून 2017 में लाए गए विधेयक के उपरांत लॉक डाउन को ज्यादा परिभाषित करेगा।

उस विधेयक में भी आपके घर में आकर टेस्टिंग करना, दवाई देना, वैक्सीन देना, मार्केट स्कूल बंद करना इमारतों को सील करना, आप के पशुधन को बीमारी का खतरा बताकर नष्ट करना यह सब प्रावधान है।

बीमारी फैले तब ही नहीं मगर फैलने की आशंका में भी यह सब कर सकते हैं। डब्ल्यू एच ओ जब महामारी घोषित करे तो हमारे देश के विशेषज्ञों की राय ली जाएगी ऐसा नहीं लिखा है। कोरोना के दरमियान हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों ने पूरा देश लॉक डाउन करने का मना किया था।

यह बात साबित हो चुकी है की लॉकडाउन, मास्क, दूरी ऐसे उपाय से वायरस नहीं रुकते। उसे कानून में डालकर यह बार-बार लाना चाहते हैं।

इसलिए हमने हजारों लोगों के, डॉक्टर्स, वकील और कई सामाजिक कार्यकर्ता के दस्तखत वाला एक खत प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और स्वास्थ्य के विषय पर काम करती पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी को भेजा है। उसमें:

1. कोई भी कानून लाने से पहले लोगों के बीच इसकी व्यापक चर्चा जरूरी है और जनमत संग्रह भी होना चाहिए।

2. हमारे देश में एलोपैथी की सिवाय जो वैद्यकीय पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, इन सब को उतना ही महत्व देकर हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराएं और महामारी में भी उनका उपयोग किया जाए।
3. महामारी है कि नहीं वह हमारे देश के आंकड़े देख कर स्थानीय विशेषज्ञ और लोगों की राय से तय किया जाना चाहिए, डब्ल्यूएचओ के कहने पर नहीं।
4. आरटी पीसीआर जैसे अविश्वसनीय, जिसको पूरा अनुमोदन भी ना मिला हो ऐसे टेस्ट नहीं थोपे जाएंगे।
5. कोई भी दवाई, इंजेक्शन, वैक्सिन कहीं पर अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा।
6. लॉकडाउन जिससे कोई फायदा नहीं मगर नुकसान बहुत होता है वह कभी नहीं लगाया जाएगा।
7. डब्ल्यूएचओ/विश्व आरोग्य संस्थान के साथ कोई संधि नहीं होगी क्योंकि वह दवाई की कंपनियों के दबाव में चलता है वह पहले भी सिद्ध हो चुका है।

आजकल सरकार लोगों के बीच या संसद में कोई खास चर्चा किए बिना कानून बना देती है। इसलिए हमें पहले से ही पूरे देश में यह बात फैला कर जनमत खड़ा करके सरकार को चेतावनी देनी है कि ना सिर्फ यह कानून लाने देंगे, ना सिर्फ हम डब्ल्यूएचओ के साथ कोई संधि करने देंगे मगर अब इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और दवाई की कंपनियां निजी हाथों से लेकर सामाजिक संपत्ति बनेगी और उसका पूरा संचालन स्थानीय लोगों की सीधी दखल से होगा।

कोरोना के दौरान और पहले भी निजी अस्पताल और दवाई की कंपनियों की खुलेआम लूट हमने देखी है। इस चक्कर से हमेशा के लिए बाहर आने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवा और दवाई की कंपनियों का हमारे सीधे नियंत्रण में चले ऐसा राष्ट्रीयकरण सामाजिकरण करना पड़ेगा।

स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क और उच्चतम गुणवत्ता की पाना यह हमारा मौलिक अधिकार है।

निजी व्यवस्था के चलते यह नहीं मिल सकता। इसलिए हम लोगों को एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा।

सामाजिकरण करने के बाद अति अमीरों पर संपत्ति टैक्स, विरासत टैक्स लगाकर सरकार इस व्यवस्था में अच्छा फंडिंग/वित्त पोषण मिले यह तो करेगी, मगर अस्पतालों से लेकर दवाई की कंपनियां तक का, पूरा संचालन लोगों की कमेटियां हर महीने सार्वजनिक सभा करने की प्रक्रिया से होगा।

हमारी जिंदगी हमें हमारी नियंत्रण में लानी होगी। इसके लिए सही दिशा में बहुत कड़ी मेहनत करके हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनने से रोकने का यही एक रास्ता है।

अभी तुरंत में, आने वाला कानून रोको।

हमेशा का उपाय: स्वास्थ्य सेवाओं और दवाई की कंपनियों का सामाजिकरण।

इस काम में आगे जुड़ने के लिए जो भी चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके बताना है। फोन कभी नहीं करना। डॉ माया वलेचा, 7016002688 *Sign and Share*
https://freeearthalliance.org/petition-on-illegal-health-bill-2/